न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट (दौसा)

किस्म मुकदमा (फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज लल्लू प्रसाद बनाम राजस्थान सरकार प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/2/21	पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0 328/231 रकबा 12 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं0 74 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं0 278/132 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा वाकै ग्राम श्यामपुरा कलां तहसील लालसोट जिला दौसा राजस्थान में स्थित है। प्रार्थी के पिता भौरीलाल पांच पुत्र है जिनका नाम कमशः सत्यनारायण, औमप्रकाश, श्रवणलाल, लल्लू प्रसाद, रामचरण है। इस प्रकार लल्लू प्रसाद का नाम अपभ्रश होकर लल्लू राम दर्ज रिकार्ड हो गया जबकि प्रार्थी अन्य सभी दस्तावेजात में आधार कार्ड, राशन कार्ड, फौटो पहचान पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेज में लल्लू प्रसाद ही है। प्रार्थी का सही नाम लल्लू प्रसाद है ना कि लल्लूराम है। प्रार्थी का नाम जमाबन्दी में लल्लूराम एवं अन्य रिकार्ड मे लल्लू प्रसाद अंकित होने के कारण प्रार्थी अपनी राजस्व भूमि के अन्य लाभ जैसे ऋण, साखा पत्र, किसान केडिट कार्ड, रहन या गिरवी रख कर अन्य लाभ प्राप्त करने से वंचित हो रहा है, इसलिए प्रार्थी का नाम लल्लूराम के स्थान लल्लू प्रसाद करवाने के लिये प्रार्थी कानूनन मुश्तहक है। प्रार्थी का नाम लल्लूराम अशुद्व अंकन है, इसलिए प्रार्थ्झी जरिये इन्द्राज दुरूस्ती लल्लूराम के स्थान पर लल्लू प्रसाद अंकित करवाने का हकदार हैं। ग्राम पंचायत श्यामपुरा कलॉ में एक ग्राम में लल्लूराम पुत्र भौरीलाल जाति ब्रह्मण निवासी ग्राम श्यामपुरा कलॉ में प्रार्थी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नही है, इसलिये प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में शुद्व अंकन किया जाना न्यायार्थ आवश्यक है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु लगभग 40 वर्ष पूर्व हो गयी उस समय प्रार्थी नाबालिग था इसलिये उसका नाम लल्लूराम अंकन हो गया जिसका नाम शुद्व किया जाना न्यायार्थ आवश्यक हैं। दिनांक 04–08–2020 को जब प्रार्थी ऋण लेने के लिये हल्का पटवारी के पास गया तो नाम में अशुद्व होने के कारण प्रार्थी को हल्का पटवारी ने ऋण दिलाने से मना कर दिया। तहसीलदार ललासेाट के पास में जाने के लिये कहां परन्तु तहसीलदार लालसोट ने नाम शुद्व करने से	

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०

मना कर दिया। इसलिए प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजिम आया। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री चन्द्रभानसिंह चौहान एडवोकेट ने पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली जाकर अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी से रिपोर्ट तलब करने हेतू तहरीर जारी कि गयी जिस पर अप्रार्थी ने अपनी रिपोर्ट पेश किया जो शामिल पत्रावली की गई। उभय पक्षकारान बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 328/231 रकबा 12 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं0 74 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं0 278/132 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा वाकै ग्राम श्यामपुरा कलां तहसील लालसोट जिला दौसा मे स्थित है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी में नाम लल्लूराम पुत्र भौरीलाल दर्ज किया है जबकि प्रार्थी की अन्य दस्तावेजात राशन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र आदि मे लल्लू प्रसाद पुत्र भौरीलाल होने के कारण शुद्व किये जाने योग्य है तथा प्रार्थी के अशुद्व नाम लल्लूराम पुत्र भौरीलाल को विलोपित कर उसके स्थान पर लल्लू प्रसाद पुत्र भौरीलाल शुद्व करवाये जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली व पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व तहसीलदार लालसोट की रिपोर्ट का अवलोकन व मनन किया । जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस आशय से स्वीकार किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 328/231 रकबा 12 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं0 74 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं0 278/132 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा वाकै ग्राम श्यामपुरा कलां तहसील लालसोट जिला दौसा के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी के अशुद्व नाम लल्लूराम पुत्र भौरीलाल को विलोपित कर उसके स्थान पर लल्लू प्रसाद पुत्र भौरीलाल शुद्व किया जाता है इस आशय की तहरीर तहसीलदार लालसोट को जारी हो।

निर्णय आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय से सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०